IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

आंचलिक पत्रकारों की आर्थिक स्थितियों का अध्ययन : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिला के संदर्भ में

अंकिता पटेल

पी-एच.डी. शोधार्थी, संस्कृति और मीडिया अध्ययन विभाग, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान

सारांश

लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए मीडिया को 'चौथे स्तंभ' के रूप में जाना जाता है । 18वीं शताब्दी के बाद से, खासकर अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन और फ्रांसीसी क्रांति के समय से जनता तक पहुँचने और उसे जागरूक कर सक्षम बनाने में मीडिया ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है । मीडिया अगर सकारात्मक भूमिका अदा करे तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है।

आज के भौतिकता के युग में पत्रकारिता एक व्यवसाय के रूप में उभरा है। इस दौर में पत्रकार अपने मानवीय और नैतिक मूल्यों का भौतिकता से संतुलन बनाते हुए तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता करने से ही अपने व्यवसाय के साथ ईमानदारी कर पाएंगे। पत्रकारिता एक स्वच्छ व पवित्र व्यवसाय है। खोजी पत्रकारिता से असलियत को उजागर किया जाता है। सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, इलैक्ट्रोनिक मीडिया के इस युग में अनेकों युवा इस व्यवसाय में भविष्य तलाश रहे हैं। पत्रकारों को आने वाली पीढ़ी के सामने आदर्श स्थापित करना है कि राष्ट्र व समाज की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर किस प्रकार से पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। इससे जनता का पत्रकारिता पर और अधिक विश्वास होगा। अगर पत्रकारों की आर्थिक स्थिति ही सही नही होगी तो पीत पत्रकारिता बढती जाएगी जो की पीत पत्रकारिता देश व प्रजातंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। वैसे भी आज सोशल मीडिया के दौर में प्रेस शब्द का अर्थ और व्यापक हो गया है। प्रेस में सोशल मीडिया के प्रभावों और दुष्प्रभावों को भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में सबके सामने तथ्य और तथ्यहीन सूचनाओं की प्रमाणिकता की भी चुनौती और भी बढ़ जाती है। सोशल मीडिया के इस युग मे मेन-स्ट्रीम की मीडिया और धरातलीय स्तर के पत्रकारों की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है।

पत्रकारिता का अस्तित्व पत्रकारों के बिना सम्भव नहीं है । पत्रकार यदि सामाजिक सरोकार संपन्न और सकारात्मक सोच का हो तो पत्रकारिता को प्रसिद्धि मिलती है । सामाजिक सरोकार संपन्न और सकारात्मक सोच का पत्रकार होने के लिए आवश्यक है कि उसका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन स्वस्थ और खुशहाल हो । यह तभी संभव है जब एक पत्रकार की सेवा शर्त कार्यस्थल का वातावरण और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो । देश में लाखों पत्रकार ऐसे है जिनके परिवार की सेवा आर्थिक आय का स्रोत नही है, ये तरह-तरह के पीड़ा,वंचना और अवमानना के शिकार है

। पत्रकारिता का प्रभाव समाज पर लगातार बढ़ रहा है। इसके वावजूद यह पेशा अब संकटों से घिरकर लगातार असुरक्षित हो गया है। मीडिया की चमक-दमक से मुग्ध होकर लड़के-लडकियों की फ़ौज इसमें आने के लिए आतुर है बिना किसी तैयारी के ज्यादातर नवांकुर पत्रकार अपने आर्थिक भविष्य का मूल्यांकन नही कर पाते। हम सभी पत्रकारिता के सभी पहलुओं को जानते हैं लेकिन एक पत्रकार के सामाजिक सरोकार के बारे में सही ढंग से और तथ्यात्मक तरीके से नहीं समझ और जान पाते हैं कि एक पत्रकार समाजसेवा के लिए कितना जोखिम उठाता है ? एक आंचलिक पत्रकार का सामाजिक जीवन कैसा होता है ? वह आंचलिक पत्रकार जो अपने छोटे से क्षेत्र और समुदाय के मुद्दों को उठाता है। उसका वास्तविक जीवन किन कठिनाइयों से गुजर रही है ? यह शोध पत्र उन आंचलिक पत्रकारों (महराजगंज जिला) के आर्थिक जीवन के पहलुओं से जुड़ा हुआ है।

संकेत शब्द: आंचलिक पत्रकार, पत्रकारिता, आर्थिक स्थिति, संप्रेषण, आर्थिक स्रोत

प्रस्तावना

देश में लाखों पत्रकार ऐसे हैं जिनके परिवार की आर्थिक आय का स्रोत नहीं है। ये तरह-तरह की पीड़ा,वंचना और अवमानना के शिकार हैं। पत्रकारिता का प्रभाव समाज पर लगातार बढ़ रहा है। इसके वावजूद यह पेशा अब संकटों से घिरकर लगातार असुरक्षित हो गया है। मीडिया की चमक-दमक से मुग्ध होकर लड़के-लड़कियों की फ़ौज इसमें आने के लिए आतुर है। बिना किसी तैयारी के ज्यादातर नवांकुर पत्रकार अपने आर्थिक भविष्य का मूल्यांकन नहीं कर पाते। **2018 में, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ लेबर की ऑक्यूपेशनल आउटलुक हैंडबुक ने बताया कि** 2016 और 2026 के बीच "रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स और ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एनालिस्ट" श्रेणी के लिए रोजगार में 9 प्रतिशत की गिरावट आएगी। पत्रकार कभी-कभी खुद को खतरे में डालते हैं, खासकर जब सशस्त्र संघर्ष के क्षेत्रों में या उन राज्यों में रिपोर्टिंग करते हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करते हैं (यूएस.डी.आ.ले.ओ. आ. है.,2018)। **कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे संगठन प्रेस की स्वतंत्रता पर रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं** और पत्रकारिता की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था **रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) की मई 2023 में जारी रिपोर्ट** के मुताबित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 161 वें स्थान पर खिसक गई। साल 2002 में भारत इस लिस्ट में 150 वें पायदान पर था। **कुलदीप कुमार पत्रकारों को बेहतर कामकाजी और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की वकालत करते हैं (आरएसएफ,2023)।**

प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए और पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए एक प्रेस परिषद की स्थापना की गयी पत्रकारों की आचार संहिता के 17 सूत्रों को गठन किया गया। श्रमजीवी और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 (1955 का 45) (संक्षेप में अधिनियम) श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिए विनियमन प्रदान करता है। इस अधिनियम की धारा 9 और 13सी, अन्य विषयों में क्रमश: श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के संबंध में वेतन दरों के निर्धारण अथवा सुधार के लिए दो वेतन बोर्डों के गठन के लिए कानून का प्रावधान मुहैया करता है। फिर भी आंचलिक पत्रकारों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें नीति नियम के अनुसार वेतन प्राप्त नही हो पाता है।

साहित्य पुनरावलोकन

Dynamics of Media **"पुस्तक में** Prof. R.S. Joshi (2002) **अपने लेख,** The Media, Civil Society and Challenge **में लिखते हैं** कि क्षेत्रीय प्रेस आज आर्थिक बदलावों की प्रक्रियाओं के गहरे दबावों में है । खबरों के बहुमूल्य स्थान को अति उपभोक्तावादी ढंग से संचालित, असंगत व अनावश्यक खबरों से भरा जा रहा है । स्थानीय मानवीय घटनाओं और मुद्दों का हाशियाकरण किया जा रहा है । यह एक सचेत और प्रबुद्ध-मालिक, सम्पादक और पाठक तीनों को समान रूप से कष्ट पहुंचाने वाली बात है ।

आलोक मेहता (2006) अपनी पुस्तक **भारत में पत्रकारिता में** आर्थिक स्थिति, कार्य सुरक्षा, और पेशेवर चुनौतियों पर प्रकाश डालते है । वह विस्तार से चर्चा करते हुए लिखते है की **वित्तीय अनिश्चितता**: पत्रकारों को अक्सर अनियमित आय, अनुबंधित कार्य, और अस्थायी नौकरियों का सामना करना पड़ता है। **कार्य सुरक्षा की कमी**: मीडिया उद्योग में निरंतर बदलाव के कारण पत्रकारों की नौकरी की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है। **संपादकीय दबाव**: विज्ञापन और राजनीतिक दबाव के कारण संपादकीय स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। **कानूनी जोखिम**: जांची-परखी रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को कभी-कभी मुकदमे और कानूनी धमकियों का सामना करना पड़ता है। **शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य**: खतरनाक क्षेत्रों में रिपोर्टिंग और लंबे कार्य समय के कारण पत्रकारों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ये जोखिम पत्रकारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं और उनके पेशेवर जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की कमी को दर्शाते हैं। इस तरह की रिपोर्ट पत्रकारिता के पेशे की चुनौतियों को समझने में मदद करती है और पत्रकारों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियों की आवश्यकता पर जोर देती है। यदि आप इस रिपोर्ट के विशेष अध्याय की और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मैं आपको और अधिक खोज करने में मदद कर सकता हूँ। क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसा करूँ?

आलोक मेहता एक भारतीय पत्रकार, टीवी प्रसारक और लेखक हैं । उन्होंने भारत सरकार से पद्म श्री का नागरिक सम्मान प्राप्त किया है ।

रामशरण जोशी (2002) अपनी पुस्तक मीडिया विमर्श में एक ओर पत्रकार की खराब आर्थिक परिस्थितियों पर चिन्ता व्यक्त करते हैं । सम्पादकों की नियुक्ति में व्याप्त राजनीतिक दबावों के खेल का खुलासा करते हैं, वहीं दूसरी ओर पत्रकारों और सम्पादकों पर आ चुके लाइजनिंग के दबाव को पत्रकारिता के विषाक्त होने का ठोस कारण मानते हैं । यहां एक बात गौर करने की है कि रामशरण जोशी; जिनका पत्रकारिता से रिश्ता कई दशकों का हो चुका है उसी के अनुरूप पत्रकारिता के बारे में उनकी समझ काफी गहरी, पैनी व विस्तृत है । उनकी पुस्तकों में जितना वृहद-स्तरीय विश्लेषण है और जितने कोणों के साथ वे प्रस्तुत करते हैं, उन्हें संक्षिप्त करके कहना काफी मुश्किल काम है जो कभी-कभी अन्यायपूर्ण भी हो सकता है ।

कृपाशंकर चौबे (2003) लेखक ने **पत्रकारिता के उत्तर आधुनिक चरण पुस्तक के** जरिए पत्रकारों को अपने नैतिक दायित्वों का निवर्हन करने के लिए प्रेरित किया है । **श्री चौबे के अनुसार,** पत्रकारों के लिए कोई ठोस आचार संहिता नहीं है । हालांकि पत्रकारों के संगठनों ने इस विषय को संजीदगी से लेते हुए अपने इस व्यवसाय के लिए कुछ आचार संहिताऐं बनाई है । आचार संहिता और आत्मानुशासन की आवश्यकता का बराबर एहसास किया जाता रहा है । वे पत्रकारों की नौकरी, काम के घंटे, ग्रेचुटी भुगतान व अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में भी विस्तृत बात करते हैं । **श्री चौबे ने लिखा है कि** पत्रकार की सेवा शर्तो, वेतन आदि में सुधार तो हुआ है पर कई समाचारपत्र श्रमजीवी कानून से बचने के रास्ते ढूंढ

लेते हैं । समाचार पत्रों के मालिक देश में व्याप्त बेरोजगारी का फायदा उठाते हैं और श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं । कुछ जगह तो नौकरी देने के साथ इस्तीफे भी लिखवाकर ले लिए जाते हैं । ताकि कोई समस्या लगने पर पत्रकार को बिना किसी बाधा के संस्थान से निकाला जा सके । ऐसे में पत्र संस्थान और पत्रकार का कोई निजी और बेहतर रिश्ता बनना मुश्किल होता है ।

डॉ प्रशांत राजावत, सम्पादक, मीडिया मिरर पत्रकारों के आपबीती के बारे में लिखते है की मैं कोविड के दौर में लगातार पत्रकारों की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतन करता रहता हूं, इसमें अलग अलग आयु वर्ग के पत्रकार शामिल हैं । पत्रकारिता के छात्रों से लेकर प्रशिक्षु पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारिता कर चुके पत्रकार शामिल हैं । कोविड के दौर में जब लगातार हमने देखा कि मीडिया संस्थानों ने बड़ी संख्या में पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया, जिनको नहीं निकाला उनपर काम का बोझ कई गुना बढ़ाकर तनख्वाह में कमी कर दी गई । फिर भी ऐसे लोग खुशनसीब खुद को कह सकते हैं जिनकी नौकरी आखिरकार बची रही । पर सवाल ये मेरे जेहन में हमेशा रहता है कि रोजगार परक शिक्षा की श्रेणी में आने वाले पत्रकारिता में वस्तुतः रोजगार है कितना और कितने काम का है । मसलन जो भी कानून पत्रकारों के पक्ष में बनते हैं उनसे आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए उन पर कितना अमल हो पाता है । उसके लिए कौन लोग किस स्तर तक लड़ाई लड़ते हैं । क्या पत्रकारिता को व्यावसायिक पाठ्यक्रम बताने वाले शिक्षा संस्थानों को ये प्रयास नहीं करने चाहिए कि कैसे पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा रोजगारउन्मुखी बने । आखिर पत्रकारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की लड़ाई कौन लड़ेगा, पत्रकारिता को सुरक्षित पेशा बनाने की दिशा में काम कौन करेगा ।

प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार डा. वेद प्रताप वैदिक ने

प्रजातंत्र में प्रैस सरकार एवं लोगों के मध्य एक सेतु का महत्वपूर्ण कार्य करती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास तथा जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने तथा जन-साधारण की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी करती हैं। इसलिए पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि सरकारी की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सहयोग करें जिससे गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। पत्रकारों को समावेशी सोच के साथ आपस मे संगठित होना है और एक पेशेवर के रूप में एक दूसरे के हितों के लिए भी काम करना है। इससे सरकार व प्रशासनिक व्यवस्था भी लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया के प्रति संवेदनशील होगी। पत्रकार निर्भीक होकर पूरी स्वतंत्रता के साथ कार्य करें तभी सरकारें अच्छे ढंग से कार्य कर सकेंगी।

पत्रकार को निर्भीक, निष्पक्ष एवं सत्य की रक्षा करते हुए रिपोर्टिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का हृदय है, जो कभी बंद नहीं होता। पत्रकारिता लोकतंत्र को जिंदा रखती है। पत्रकार पर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है, इसलिए हमेशा सचेत रह कर कार्य करना चाहिए। पत्रकार दुर्भावना व पक्षपात से न लिखें केवल ईमानदारी से लिखें यहीं सारे समाज के हित में है।

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर केजी सुरेश कहते हैं, सवाल यह है कि देश में पत्रकारों के हितों की सुरक्षा कैसे हो? देश में इस तरह की कोई संस्था नहीं बची है । जो हैं, वे खेमों में बंटी हैं, वहां पत्रकारों की सुरक्षा के नाम पर बस प्रेस रिलीज जारी कर निंदा कर दी जाती है ।' वे आगे कहते हैं, 'पहले वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट और वेज बोर्ड पत्रकारों के लिए दो स्तंभ हुआ करते थे, जो मीडियाकर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते थे लेकिन आज के समय में वेज बोर्ड को समाप्त कर दिया गया, वर्किंग जनलिस्ट एक्ट को मर्ज कर दिया गया है । हमारी

हालत मनरेगा मजदूरों से भी खराब है, मनरेगा मजदूरों के पास कम से कम सिक्योरिटी तो है लेकिन पत्रकारों के पास वह भी नहीं है।'श्री सुरेश मानते हैं कि वैचारिक असमानता एक वजह है, जिसके चलते पत्रकारों के हित की बात आने पर भी सभी मीडियाकर्मी ही साथ खड़े नहीं हो पाते । वे कहते हैं, 'आज के समय में मीडियाकर्मियों में बहुत ध्रुवीकरण हो गया है । हम वैचारिक स्तर पर इतने बंट गए हैं कि अपने मुद्दों के लिए साथ आने तक को तैयार नहीं है।' पत्रकारों की कटती तनख्वाह और जाती नौकरियों के बीच देश में पत्रकारों के हितों के लिए काम कर रही संस्था नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) ने पत्रकारों को आर्थिक सुरक्षा दिए जाने की मांग की है ।

वर्ष 2020 में पत्रकारों के ख़िलाफ़ अपराधों के मामलों में दण्ड निडरता की दर में मामूली गिरावट तो आई है लेकिन अब भी विश्व भर में ऐसे 87 फ़ीसदी मामले अनसुलझे हैं । प्रेस स्वतन्त्रता की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाली यूएन एजेंसी-संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवँ सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है (UNESCO,2020)। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अज़ूले ने पत्रकारों की सुरक्षा और दण्डमुक्ति के ख़तरे के मुद्दे पर एक रिपोर्ट जारी की है-'Safety of Journalists and the Danger of Impunity' रिपोर्ट दर्शाती है कि दुनिया भर में पत्रकारों के ख़िलाफ़ अपराधों के मामलों में महज़ 13 फ़ीसदी मामले ही सुलझ पाए हैं । यूएन एजेंसी के मुताबिक

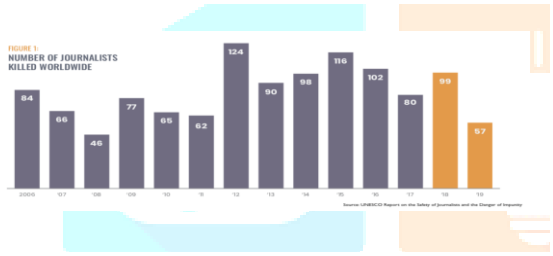

पत्रकारिता अब भी एक ख़तरनाक पेशा बना हुआ है । पत्रकारों के सामने ख़तरे अनेक हैं और व्यापक स्तर पर हैं। "हिंसक संघर्षों से गुज़र रहे देशों के सम्बन्ध में हताहतों में गिरावट आई है, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन, पर्यावरणीय अपराध, तस्करी और राजनैतिक घपलों के मामलों पर रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों पर जानलेवा हमले अन्य देशों में बढ़े हैं । यह रिपोर्ट हर दूसरे वर्ष यूनेस्को में संचार विकास के लिये अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रम (International Programme for the Development of Communication) की अन्तर-सरकारी परिषद को सौंपी जाती है । यूनेस्को के सदस्य देशों के लिये यह वैश्विक घटनाक्रम का जायज़ा लेने और पत्रकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने व दण्डमुक्ति के ख़िलाफ़ लड़ाई में चुनौतियों पर चर्चा करने का एक अवसर है । यूनेस्को के अनुसार व्याप्त रुढ़िवादिता
Source: UNESCO report

के कारण कभी-कभी महिलाओं को जोखिम भरे इलाक़ों में जाने या कुछ ख़ास मुद्दों पर रिपोर्टिंग से भी रोका जाता है । लेकिन महिला पत्रकारों को ऑनलाइन व ऑफ़लाइन लिंग-आधारित हमलों का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी सुरक्षा के लिये जोखिम पैदा होता है । ये हमले उत्पीड़न से लेकर, शारीरिक या यौन दुर्व्यवहार, निजी और पहचान ज़ाहिर करने वाली जानकारी को सार्वजनिक करने तक हो सकते हैं । टीवी व स्थानीय पत्रकारों के लिये बड़ा जोखिम पिछले वर्षों के अनुरूप, रिपोर्ट दर्शाती है कि पीड़ितों में सबसे बड़ा समूह टीवी पत्रकारों का है ।

दुनिया भर में मारे गए पत्रकारों की संख्या यूएन एजेंसी का कहना है कि पत्रकारों के ख़िलाफ़ अपराधों के मामलों में दण्ड निडरता अब भी फैली हुई है, अलबत्ता, 2020 में उसमें मामूली गिरावट आई है । सदस्य देशों से प्राप्त आँकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में पत्रकारों के ख़िलाफ़ अपराधों के 13 फ़ीसदी मामले सुलझा लिये गए, जबकि 2019 में 12 प्रतिशत और 2018 में 11 फ़ीसदी मामले ही सुलझाए जा सके थे । देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमले और धमकियों की घटनाओं में चिंताजनक तेजी आई है ।

वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले को जिन्हें कुछ साल पहले प्रतिष्ठित कुलदीप नैय्यर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर पत्रकारिता पर चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि क्षेत्रीय पत्रकारिता मुख्यधारा के मीडिया का अभिन्न अंग है। उनका कहना है कि क्षेत्रीय पत्रकार स्थानीय भाषाओं में समाचार उपलब्ध कराते हैं जिससे जनता तक इसकी पहुंच अधिक हो जाती है।

शोध उद्देश्य

1- महराजगंज के आंचलिक पत्रकारों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

2- आंचलिक पत्रकारों के लिए समाचार दफ्तर में उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करना।

3- आंचलिक पत्रकारों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सुविधाओं की वास्तविकता का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न-

1- क्या आंचलिक पत्रकारों की आर्थिक स्थिति के लिए उनके पेशे का चयन अथवा उनके संगठन उत्तरदायी हैं ?

2- क्या आंचलिक पत्रकारों के लिए समाचार दफ्तर में सुविधाएँ उपलब्ध नहीं रहती ?

3- क्या आंचलिक पत्रकारों को आर्थिक सुविधा कार्य के अनुरूप नहीं मिलती ?

शोध प्रविधि (Research Methodology)

शोध-अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। अध्ययन में आंकड़ों का संकलन सर्वे विधि से किया गया है। इस शोध में प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण के लिए संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत प्रश्नावली में संवृत्तोत्तर (क्लोज एंडेड, बंद प्रश्न) प्रश्नों का समावेश किया गया है। जिसमें शोध के उद्देश्य के आधार पर कुल 6 प्रश्न शामिल हैं। प्रश्नावली सिर्फ उन्हीं लोगों से भरवाई गई है जो शोध संबंधी जानकारी देने में सक्षम है। प्रश्नावली को गूगल डाक्स की सहायता से बनाया गया है जिसे ई-मेल और व्हाटसएप के माध्यम से भेजकर डेटा को इकट्ठा किया गया है। कुल 80 पत्रकारों को जनवरी 2024 में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफोर्म से भेजा गया जिसमे से 60 पत्रकारों द्वारा प्रश्नावली भरी गई। जिसमें 'आंचलिक पत्रकारों की आर्थिक स्थिति (महराजगंज जिले के विशेष संदर्भ में) के उपयोग से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रश्नावली में बहुवैकल्पिक प्रश्नों का प्रयोग किया गया है। कुछ पत्रकारों से प्रत्यक्ष व कुछ से टेलीफोनिक साक्षात्कार भी लिया गया है। इसके साथ द्वितीयक आंकड़ों के रूप में रिपोर्ट, पुस्तकों, शोध प्रबंध, शोध-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और इन्टरनेट सुविधाओं, बुलेटिनों, समाचार पत्रों और अनुसंधान विषय से संबंधित अन्य प्रकाशनों को शामिल किया गया है।

शोध अध्ययन का क्षेत्र

RNI आंकड़ो के अनुसार महराजगंज जिले में दैनिक,साप्ताहिक, मासिक समाचार पत्रों को मिला कर 65 पत्र-पत्रिकाए है। शोध क्षेत्र के भौगौलिक क्षेत्र की बात करे तो विभिन्न दस्तावेजो से पता चलता है की महाराजगंज जिला उतरप्रदेश राज्य का एक जिला है। जिसका मंडल गोरखपुर मुख्यालय महराजगंज में तथा इसका स्थापना वर्ष 2 अक्टूबर 1989 है। महाराजगंज जिले का क्षेत्रफल 2952 वर्ग किमी. है। महराजगंज जिले के पूर्व में कुशीनगर जिला , पश्चिम में सिद्धार्थ नगर जिला, उत्तर की ओर नेपाल देश तथा दक्षिण की ओर गोरखपुर जिला तथा संतकबीर नगर अवस्थित है। महाराजगंज जिले की कुल जनसंख्या **2685292** है जिसमे से 1382000 पुरषों की जनसंख्या तथा 1303000 महिलाओं की संख्या है। महाराजगंज जिले को पहले कारापथ के नाम से जाना जाता था बाद में इसका नाम बदलकर महाराजगंज कर दिया गया। महाराजगंज जिले की अधिकतर आबादी हिंदी भाषा को बोलती है जनसंख्या के

अनुसार, शहरी क्षेत्र में **1,34,730 लोग** रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का **5.02%** है। ग्रामीण क्षेत्र में बाकी जनसंख्या निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार महाराजगंज जिले में 1262 गावं अवस्थित है जिसमे रहने वालों ग्रामीण जनसंख्या 25,49,973 है जो अपने आप में विशेष महत्व रखता है इससे ही आंचलिक पत्रकारिता के महत्व का आकलन किया जा सकता है (जनगणना,2011) ।

प्रस्तुत विषय का अध्ययन-क्षेत्र महराजगंज जिला है । इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ महराजगंज जिला ग्रामीण क्षेत्रों को छूता है । यहाँ पर समाचार दफ्तरों के मुख्य कार्यालय नहीं है । मीडिया के साथ काम करने वाले पत्रकारों की आर्थिक स्थिति जब तक ठीक नहीं होगी तब तक वह अपना 100% पत्रकारिता को नहीं दे सकते हैं । मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों के स्तर पर उनकी आर्थिक स्थिति की विफलता के सही कारण को समझने के लिए जिला स्तर के पत्रकारों का इस क्षेत्र का चुनाव करना जरूरी था ।

साक्षात्कार

महराजगंज के पत्रकार आजाद मिश्र से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया की महराजगंज में दो पत्रकार संगठन है जर्नलिस्ट प्रेस क्लब और प्रेस क्लब ऑफ महराजगंज कई प्रश्नों का जबाब देते हुए उन्होंने कई बाते विस्तार से बताया

प्रश्न-1 क्या आपको लगता है की भारतीय पत्रकार संगठनों के माध्यम से आप लोगों को सहयोग प्राप्त होता है?

उत्तर:- **पत्रकार आजाद मिश्र ने बताया की** पत्रकार संगठनों द्वारा मदद होता है, लेकिन कई स्थानों पर पत्रकार की समस्या पत्रकारिता से कम बल्कि उसके निजी मामलों से ज्यादा होती है । ऐसे में संगठनों को उसकी मदद में कई बार समस्याएं होती है ।

प्रश्न-2 क्या आप आँचलिक पत्रकारों की आवाज़ राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पाती है?

उत्तर:- वर्तमान समय की पत्रकारिता कुछ खास घरानों और पूंजी की होकर रह गई है । ऐसे में पत्रकारों की आवाज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना तो दूर की बात है, अगर जमीनी सच्चाई राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है । उन्होंने कहा की स्थानीय क्षेत्रों क्षेत्रीय स्तर के पत्रकारिता को आंचलिक पत्रकारिता कहते है । यह समझकर लोग आंचलिक पत्रकारिता के स्तर का मापन नही कर पाते बल्कि क्षेत्रीय मीडिया क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय मीडिया का सहभागी लोकतंत्र के लिए विशेष महत्वपूर्ण है । क्षेत्रीय मीडिया और उन क्षेत्रों और समुदायों के व्यक्तियों के बीच के संबंध, जिनकी वे सेवा करते हैं, घनिष्ठ, मजबूत और अधिक प्रतिनिधिक होते हैं । क्षेत्रीय मीडिया सहभागी लोकतंत्र के लिए क्षेत्रीय मीडिया का महत्व क्षेत्रीय पत्रकारिता के क्षेत्रीय राजनीति के कवरेज और उन मुद्दों के कारण है जो या तो कम प्रतिनिधित्व करते हैं, या राष्ट्रीय पत्रकारिता से अनुपस्थित हैं । क्षेत्रीय पत्रकारिता क्षेत्रीय राजनीति और मुद्दों की सार्वजनिक चर्चा और उनके साथ जुड़ाव को भी बढ़ावा देती है । क्षेत्रीय मीडिया क्षेत्रीय पहचान और भाषाओं को बढ़ावा देता है और उनका समर्थन करता है, जो ज्यादातर प्रमुख/मुख्यधारा के राष्ट्रीय मीडिया द्वारा हाशिए पर हैं । क्षेत्रीय मीडिया द्वारा निर्मित संचार स्थान क्षेत्रीय पहचान (सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक पहचान सहित) को तलाशने, बनाए रखने और बढ़ावा देने की अनुमति देता है । क्षेत्रीय मीडिया की भूमिका व्यापक भागीदारी प्रतिमान/विचार के हिस्से के रूप में राय बनाने और निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। क्षेत्र की मीडिया के लिए केंद्रीय होने की धारणा, क्षेत्रीय मीडिया स्थानीय आवाज और प्रक्रियाओं को

स्थानीय और साथ ही साथ गूंजने के लिए सशक्त बनाता है। यह लोगों को हमारे आसपास के लोगों में से रोल मॉडल चुनने के विकल्प के साथ सशक्त बनाता है ।

प्रश्न-3 आप सभी पत्रकारों को किस प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

उत्तर:- वर्तमान समय में पत्रकारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है । कहानी यह है कि कुछ गिने चुने अखबारों को छोड़कर किसी भी संस्थान में पत्रकारों को वेतन नहीं मिलता है, जहां पर मिल भी रहा है, वहां भी काफी न्यून है । जिससे पत्रकारों को आए दिन आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है।

गोपनीयता के शर्त पर सामूहिक रूप से कुछ पत्रकारों से साक्षात्कार लेते वक़्त पूछे गये विभिन्न प्रश्न

प्रश्न-1 आंचलिक पत्रकारों के लिए वेतन भत्ता संबंधित क्या कोई विधिक प्रावधान है।

उत्तर:- वर्तमान में, पत्रकारों के लिए वेतन और भत्तों से संबंधित कोई विशेष अध्यादेश या कानूनी प्रावधान नहीं मिला है जो सीधे हम पत्रकारों के वेतन और भत्तों को नियंत्रित करता हो। हालांकि, पत्रकारिता से संबंधित कुछ मुख्य कानून हैं जो हम पत्रकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। **इनमें शामिल हैं:- प्रेस परिषद अधिनियम, 1978:** यह अधिनियम समाचार पत्रों और समाचार समितियों के स्तर में सुधार और विकास के साथ-साथ प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए है। **भारतीय दंड संहिता, 1860:** इसमें मानहानि से संबंधित प्रावधान हैं जो पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग में सचेत रहने की आवश्यकता देते हैं। **न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971:** यह अधिनियम न्याय प्रणाली की पवित्रता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए है इसके अलावा, पत्रकारों के लिए विभिन्न संगठनों और यूनियनों द्वारा वेतन और कार्य संबंधी मानकों की सिफारिशें की जाती हैं, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं। पत्रकारों के लिए वेतन और भत्तों के मामले में अधिकतर नियम उनके नियोक्ता और उद्योग के मानकों पर निर्भर करते हैं। जो बहुत ही निंदनीय है इन मानदंडो के कारण हमे काफी शोषण का सामना करना पड़ता है । वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचार पत्रों के कर्मचारियों के लिए है लेकिन वह भी लाभकारी नही है । मजीठिया वेज बोर्ड सकारात्मक और हम पत्रकारों के आर्थिक पक्ष में था लेकिन उसके लिए अभी भी लड़ाई जारी है ।

प्रश्न-2 आंचलिक पत्रकार अपने समस्याओं और दूसरों के शोषण को लेकर मुखर रहता है तथा मीडिया के माध्यम से उस समस्या को उजागर कर उसके समाधान की दिशा में योगदान देता है परन्तु क्या वह पत्रकारों की सेवा शर्तों तथा वेतन संबंधी विसंगतियों के बारे में भी कभी कुछ लिखता है ?

उत्तर:- हाँ हम इससे सहमत है यह सही है इसको नकारा नही जा सकता है हम आंचलिक पत्रकार दूसरों के शोषण को लेकर मुखर रहते है तथा मीडिया के माध्यम से उस समस्या को उजागर कर उसके समाधान की दिशा में योगदान देते है । परन्तु हम पत्रकार अपने समस्याओं और हम अपने सेवा शर्तों तथा वेतन संबंधी विसंगतियों के बारे में कुछ भी नही लिख पाते है । इसके कई पहलु है अगर हम अपने आर्थिक स्थिति के लिए लड़ते है तो हम पर आंतरिक दबाव बनाया जाता है । कई बार तो जिला प्रेस क्लब या वरिष्ठ कर्मचारियों से भी शोषण झेलना पड़ता है । आंतरिक के साथ-साथ सामाजिक, राजनैतिक और व्यवहारिक रूप से दबाव के साथ पद-प्रतिष्ठा जाने का डर बना रहता है । इस वजह से हम सब अपने लिए मुखर नही हो पाते । जिसका हमें खेद है ।

प्रश्न-3 आप सभी पत्रकार अपने-अपने क्षेत्र तथा बीट पर कार्य करते है चाहे वह राष्ट्रीय हो या आंचलिक, आंचलिक पत्रकारों को कमतर क्यों देखा जाता है?

उत्तर:- हम आंचलिक पत्रकारों को कमतर देखे जाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अक्सर यह धारणा कि राष्ट्रीय मीडिया अधिक प्रभावशाली और व्यापक होता है । यह इस विचार को जन्म देती है कि आंचलिक पत्रकारिता कम महत्वपूर्ण है। हालांकि आंचलिक पत्रकारिता स्थानीय समुदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में सहायक होती है।

हम आंचलिक पत्रकारिता के कमतर देखे जाने के कुछ संभावित कारण ये हो सकते हैं:

संसाधनों की कमी: हम आंचलिक पत्रकारों के पास अक्सर वही संसाधन और पहुंच नहीं होती जो राष्ट्रीय मीडिया के पास होती है।

प्रशिक्षण और विकास के अवसर: हम आंचलिक पत्रकारों को अक्सर वही प्रशिक्षण और करियर विकास के अवसर नहीं मिलते जो बड़े शहरों में काम करने वाले पत्रकारों को मिलते हैं।

दृश्यता और पहचान: राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकारों को अधिक दृश्यता और पहचान मिलती है । जबकि हम आंचलिक पत्रकारों का काम अक्सर उनके स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित रह जाता है।

वित्तीय समर्थन: राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को अधिक वित्तीय समर्थन मिलता है, जिससे वे अधिक गहन और व्यापक रिपोर्टिंग कर सकते हैं

इन कारणों के बावजूद, आंचलिक पत्रकारिता का अपना एक अनूठा महत्व है। यह स्थानीय समुदायों की आवाज को उठाती है और उनके मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर लाने में मदद करती है। आंचलिक पत्रकारिता स्थानीय संस्कृति, रीति-रिवाजों और समस्याओं को समझने और उन्हें उजागर करने में अपरिहार्य है। इसलिए इसे कमतर नहीं देखा जाना चाहिए।

आँकड़ों के प्रस्तुतिकरण एवं तथ्य विश्लेषण

प्रस्तुत शोध विषय आंचलिक पत्रकारों की आर्थिक स्थिति के अध्ययन पर आधारित है । प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इसका प्रस्तुतिकरण करके विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया गया है । यह विश्लेषण केवल महराजगंज के पत्रकारों से संबंधित है । इस में यह देखा गया है कि महराजगंज के पत्रकारों की आर्थिक स्थिति कैसी है । आंकड़ों और विश्लेषण के साथ नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है ।

तथ्य विश्लेषण

प्रश्न क्र. 1 पत्रकार के रूप में आपको अपने संगठन से क्या-क्या उपलब्ध है ?

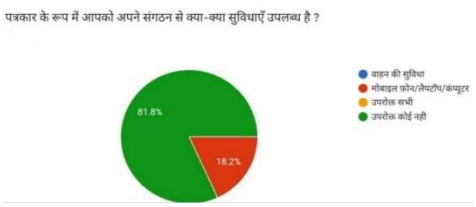

स्रोत: गूगल डॉक्स प्रश्नावली

विश्लेषण: प्रश्न क्र. 1:- पत्रकार के रूप में आपको अपने संगठन से क्या-क्या उपलब्ध है ?

इस प्रश्न के जबाब में 81.8 % पत्रकारों का कहना है कि उन्हें अपने संगठन से वाहन की सुविधा,मोबाइल फोन/लैपटाप/कंप्यूटर उपरोक्त कुछ नहीं मिलता । वहीं 18.2 % पत्रकारों का कहना है कि उन्हें अपने संगठन से मोबाइल फोन/लैपटाप/कंप्यूटर मिलता है । प्राप्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि आंचलिक पत्रकारों को उनके संगठन से इलेक्ट्रोनिक डिवाइस के नाम पर कुछ उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न क्र. 2 आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं ?

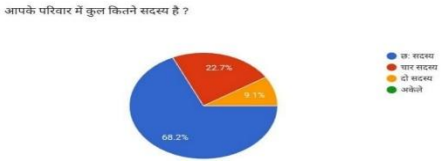

स्रोत: गूगल डॉक्स प्रश्नावली

विश्लेषण: प्रश्न क्र. 2 :- आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं?

इस प्रश्न के जबाब में 68.2 % पत्रकारों का कहना है कि उनके परिवार में छः सदस्य हैं । 22.7 % पत्रकारों का कहना है कि उनके परिवार में चार सदस्य हैं । 9.1% पत्रकारों का कहना है कि उनके परिवार में सिर्फ दो सदस्य हैं । प्राप्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि पत्रकारों के पास अधिकतर मात्रा में विस्तारित परिवार है ।

प्रश्न क्र. 3 आपके परिवार पालन/घर चलाने के लिए आर्थिक स्रोत क्या है ?

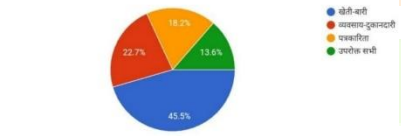

स्रोत: गूगल डॉक्स प्रश्नावली

विश्लेषण: प्रश्न क्र. 3:- आपके परिवार पालन/घर चलाने के लिए आर्थिक स्रोत क्या है ?

इस प्रश्न के जबाब में 45.5% पत्रकारों का कहना है कि उनके परिवार/घर चलाने के लिए आर्थिक स्रोत खेती-बारी है । वहीं 22.7% पत्रकारों का कहना है कि उनके परिवार/घर चलाने के लिए आर्थिक स्रोत व्यवसाय-दुकानदारी से चलता है । 18.2% पत्रकारों का कहना है कि उनके परिवार/घर चलाने के लिए आर्थिक स्रोत पत्रकारिता से चलता है । 13.6% पत्रकारों के परिवार/घर चलाने के लिए आर्थिक स्रोत उपरोक्त सभी से है । प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि पत्रकारों का अधिक मात्रा में आर्थिक स्रोत खेती-बारी है ।

प्रश्न क्र. 4 आपको परिवार चलाने में प्रति महीने लगभग कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है ?

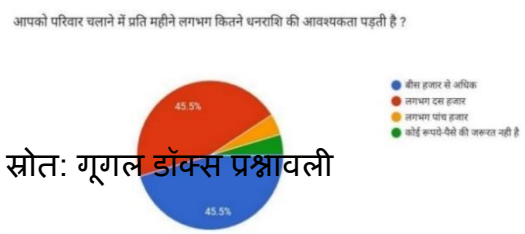

स्रोत: गूगल डॉक्स प्रश्नावली

विश्लेषण: प्रश्न क्र. 4:- आपको परिवार चलाने में प्रति महीने लगभग कितने धनराशि की आवश्यकता पड़ती है ?

इस प्रश्न के जबाब में 45.5% पत्रकारों का कहना है कि परिवार चलाने के लिए प्रति माह बीस हजार से अधिक धनराशि की आश्यकता पड़ती है । वहीं 45.5% पत्रकारों का कहना है कि परिवार चलाने के लिए प्रति माह लगभग दस हजार धनराशि की आश्यकता पड़ती है ।

प्रश्न क्र. 5 आपको पत्रकारिता के अलावा अन्य स्रोतों से प्रति महीने कितना आर्थिक लाभ होता है ?

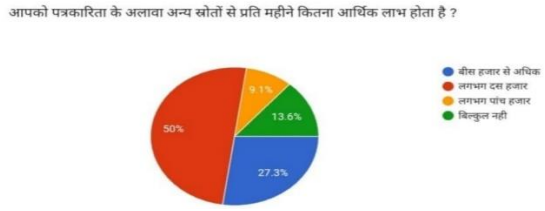

स्रोत: गूगल डॉक्स प्रश्नावली

विश्लेषण: प्रश्न क्र. 5:- आपको पत्रकारिता के अलावा अन्य स्रोतों से प्रति महीने कितना आर्थिक लाभ होता है?

इस प्रश्न के जबाब में 50 % पत्रकारों का कहना है कि उन्हें पत्रकारिता के अलावा अन्य स्रोतों से प्रति महीने लगभग दस हजार का आर्थिक लाभ होता है । वहीं 27.3 % पत्रकारों का कहना है कि उन्हें पत्रकारिता के अलावा अन्य स्रोतों से लगभग बीस हजार से अधिक आर्थिक लाभ होता है । 13.6 % पत्रकारों का कहना है कि उन्हें अन्य स्रोतों से कुछ लाभ नहीं होता । 9.1% पत्रकारों का कहना है कि उन्हें पत्रकारिता के अलावा अन्य स्रोतों से पांच हजार रुपये का लाभ होता है ।

प्रश्न क्र. 6 आपको अपने संगठन से अथवा पत्रकारिता के कार्य से प्रतिमाह कितना/वेतन/धनलाभ होता है ?

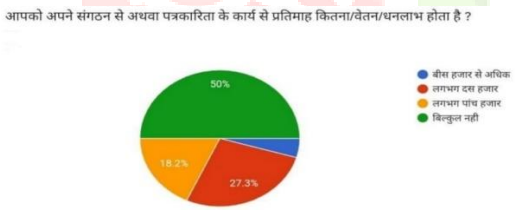

स्रोत: गूगल डॉक्स प्रश्नावली

विश्लेषण: प्रश्न क्र. 6:- आपको अपने संगठन से अथवा पत्रकारिता के कार्य से प्रतिमाह कितना/वेतन/धनलाभ होता है ?

इस प्रश्न के जवाब में 50% पत्रकारों का कहना है कि उन्हें अपने संगठन से अथवा पत्रकारिता के कार्य से प्रतिमाह बिल्कुल कोई धन लाभ नहीं होता । वहीं 27.3% पत्रकारों का कहना है कि उन्हें अपने संगठन से अथवा पत्रकारिता के कार्य से प्रतिमाह लगभग दस हजार धनलाभ होता है । 18.2% पत्रकारों का कहना है कि उन्हें अपने संगठन से अथवा पत्रकारिता के कार्य से प्रतिमाह लगभग पांच हजार रुपये का धनलाभ होता है ।

निष्कर्ष

1- अध्ययन में सामने आया है कि आंचलिक पत्रकारों की खराब आर्थिक स्थिति के पीछे उनके संगठन उत्तरदायी है ।

2- अध्ययन में सामने आया है कि आंचलिक पत्रकारों की खराब आर्थिक स्थिति के पीछे पत्रकारों के लिए बेहतर निति-नियम न लागू होना भी है ।

3- अध्ययन में सामने आया है कि आंचलिक पत्रकारों के समाचार दफ्तर में कंप्यूटर, प्रिंटर और इन्टरनेट, कुर्सी, मेज, अलमारी, टेलीफोन और चाय-नाश्ता सब उपलब्ध होता है । वह सारी जरूरत की चीजे उपलब्ध होती है जिससे अधिक से अधिक काम हो सके ।

4- आंचलिक पत्रकारों को उनके संगठन से वाहन की सुविधा, मोबाइल फोन, लैपटॉप/कम्प्यूटर उपरोक्त कोई नहीं मिलता है । उन सभी संसाधनों की कमी महसूस होती है जो पत्रकारों के लिए जरूरी है और उनके आर्थिक पक्षों से जुड़े हुए है ।

5- आंचलिक पत्रकारों को परिवार/पालन घर चलाने के लिए आर्थिक स्रोत खेती-बारी, व्यवसाय-दुकानदारी है ।

6- आंचलिक पत्रकारों को परिवार चलाने के प्रतिमाह बीस हजार से अधिक की और लगभग दस हजार धनराशि की जरूरत पड़ती है ।

7- आंचलिक पत्रकारों को पत्रकारिता के अलावा अन्य स्रोतों से लगभग दस हजार आर्थिक लाभ होता है ।

8- आंचलिक पत्रकारों को पत्रकारिता से वेतन धनलाभ नहीं होता ।

9- आंचलिक पत्रकार आर्थिक स्थितियों के लिए पूरी तरह से खेती-बारी, दुकानदारी-व्यवसाय पर निर्भर है ।

10-आंचलिक पत्रकारों को आर्थिक सुविधा कार्य के अनुरूप नहीं मिलती है ?

सुझाव

1- आंचलिक पत्रकार जो लम्बे समय से अपने संगठन से जुड़े हो और अनुभवी हो, उनके लिए आर्थिक रूप से सम्मानजनक वेतन और सेवा-सुविधा होना चाहिए ।

2- आंचलिक पत्रकारों को उनके संगठन से वाहन की सुविधा, मोबाइल फोन, लैपटॉप/कम्प्यूटर मिलना चाहिए ।

3- आंचलिक पत्रकारों के लिए सम्मानजनक निर्धारित वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आर्थिक संकटों का सामना न करना पड़े । चाहे वह स्वयं सेवी पत्रकार हो या संगठनात्मक ।

4- आंचलिक पत्रकारों के लिए संगठन होना चाहिए जिससे उनकी समस्याओं का समाधान निकल सके ।

5- आंचलिक पत्रकारों को अपनी नौकरी जाने का भय और आर्थिक समस्या झेलनी पड़ती है । यहाँ तक की वह शोषण का शिकार भी होते है उसके लिए दबाब के अतिरिक्त ठोस समाधान और निति नियम होने चाहिए जो उनके काम के साथ न्याय कर सकें ।

6- आंचलिक पत्रकारों को उचित मुआवजा, नौकरी की सुरक्षा और मनमाने ढंग से छंटनी या वेतन कटौती के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पत्रकारों के लिए कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना जरुरी है ।

7- आंचलिक पत्रकारों को अपने कौशल को बढ़ाने और बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुकूल ढलने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना जरूरी है ।

इन सिफ़ारिशों का उद्देश्य पत्रकारों के लिए एक अधिक टिकाऊ वातावरण बनाना है, यह सुनिश्चित करना कि वे वित्तीय बाधाओं के बिना जनता को सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना जारी रख सकें। इन उपायों को लागू करने से

पत्रकारों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिल सकती है और मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य में योगदान मिल सकता है।

सन्दर्भ

1. Chandra, R. (2004). Analysis of Media Communication Trends. Delhi:Isha Books.
2. चौबे, क. (2003). पत्रकारिता के उत्तर आधुनिक चरण.नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन.
3. जोशी,र. (2002). मीडिया विमर्श. नई दिल्ली:सामाजिक प्रकाशन.
4. मेहता, आ. (2006). भारत में पत्रकारिता. नई दिल्ली: नैशनल बुक ट्रस्ट.
5. बी.बी.सी. समाचार हिंदी.(2020, अक्टूबर 17). पत्रकारों के ख़िलाफ़ इतनी एफ़आईआर यूपी में क्यों. https://www.bbc.com/hindi/india-54566963. 30-04-24 को पुन: प्राप्त
6. पत्रकारों की सुरक्षा संबंधित संसाधन. (2021, जुलाई 05). https://gijn.org/safety-and-security-journalists-hindi/ 30-04-24 को पुन: प्राप्त
7. Rajput, A. (2021, May 15). पत्रकारों की आर्थिक स्थिति एक मजदूर से भी बदतर! ध्यान दे सरकार. पर्वतजन. https://parvatjan.com/economic-condition-of-journalists-is-worse-than-that-of-a-laborer/30-04-24 को पुन: प्राप्त
8. जोसव. क. (2020, May 14). पत्रकारिता की पांच आधारशिलाएं. The Caravan. https://caravanmagazine.in/media/the-five-cornerstones-of-journalistic-work-hindi 30-04-24 को पुन: प्राप्त
9. आरएनआई.(एन.डी.). https://rni.nic.in/verified_titles/verified_titles.aspx30-04-24 को पुन: प्राप्त
10. पीआरएसआई.(एन.डी.)। पीआरएस विधायी अनुसंधान.https://prsindia.org/30-04-24 को पुन: प्राप्त